

प्रारूप— दो

भा. - ख- ग्राम सभा के संकल्प के लिए प्रारूप- ग्राम सभा की बैठक की कार्यवाही की प्रति संलग्न है।

प्रारूप - तीन

सामाजिक समाघात निर्धारण प्रतिवेदन

(नियम 23 देखिए)

1. परियोजना क्षेत्र की जनसांख्यिकी का विवरण -

ग्राम - डोंगरीगांव

(क) कुल जनसंख्या - 547	(एक) पुरुष - 267	(दो) महिला-280
(ख) बच्चों की संख्या- 94	(एक) पुरुष- 46	(दो) महिला - 48
(ग) जातिवार जनसंख्या (परिवार)	(एक) अ.ज.जा.-पु.172,म.179	(दो) अ.जा.- पु.29,म.40
	(तीन) अ.पि.व.-पु.66,म.61	(चार) अन्य- 0
(घ) धर्मवार जनसंख्या	(एक) हिन्दू- 547	(दो) मुस्लिम- 0
	(तीन) सिक्ख-0	(चार) ईसाई-0
	(पांच) बौद्ध- 0	(छः) अन्य-0

ग्राम - पारागांव

(क) कुल जनसंख्या - 1073	(एक) पुरुष - 545	(दो) महिला-528
(ख) बच्चों की संख्या- 177	(एक) पुरुष- 94	(दो) महिला - 83
(ग) जातिवार जनसंख्या (परिवार)	(एक) अ.ज.जा.-पु.317,म.320	(दो) अ.जा.- पु.85,म.70
	(तीन) अ.पि.व.-पु.145,म.136	(चार) अन्य- 0
(घ) धर्मवार जनसंख्या	(एक) हिन्दू- 1073	(दो) मुस्लिम- 0
	(तीन) सिक्ख-0	(चार) ईसाई-0
	(पांच) बौद्ध- 0	(छः) अन्य-0

ग्राम - केशोडार

(क) कुल जनसंख्या - 411	(एक) पुरुष - 207	(दो) महिला-204
(ख) बच्चों की संख्या- 125	(एक) पुरुष- 52	(दो) महिला - 73
(ग) जातिवार जनसंख्या (परिवार)	(एक) अ.ज.जा.-पु.167,म.167	(दो) अ.जा.- पु.2,म.2
	(तीन) अ.पि.व.-पु.38,म.35	(चार) अन्य- 0
(घ) धर्मवार जनसंख्या	(एक) हिन्दू- 411	(दो) मुस्लिम- 0
	(तीन) सिक्ख-0	(चार) ईसाई-0
	(पांच) बौद्ध- 0	(छः) अन्य-0

2. गरीबी रेखा के नीचे की परिवारों की संख्या- डोंगरीगांव 62, पारागांव 90, केशोडार 70

3. वृद्धावस्था पेंशनरों की संख्या- कुल 28,

4. निराश्रित पेंशनरों की संख्या - कुल सा.सु. 14, सु स. 31, वि. 01,

5. निरक्षर पुरुष एवं महिलाओं की संख्या- कुल पु. 40, म. 45

6. सामाजिक एवं सांस्कृतिक संगठन - सामाजिक संगठन 04, सांस्कृतिक 02

7. प्रशासनिक संगठन -

श्री सतानन्द ध्रुव सचिव

श्री टिकम नागेश पटवारी

भुनेश्वरी ध्रुव रो.सहायक
चित्रगुप्त कश्यप कृषि विस्तार
श्रीमती मोतिन शाव स्वास्थ्य कार्यकर्ता
श्री बिहारी ध्रुव विद्युत मेकेनिक
कु.अनुराधा गुप्ता भृत्य
चित्रांगदा दुबे डाटा ऐन्टरी
एस.के. सोरी ग्राम विकास विस्तार अधिकारी

8. राजनीतिक संगठन—
श्रीमती उर्वशी नेताम सरपंच
श्री चमरू नेताम उपसरपंच
श्रीमती वंदना पाटिल पंच
श्रीमती शारदा ध्रुव पंच
श्री सुशिल सोम पंच
श्रीमती ईश्वरी गुप्ता पंच
श्री गंगा गुप्ता पंच
श्री लक्ष्मीनिधी पंच
श्री लक्ष्मीनाथ बारले पंच
श्री अमितेश शुक्ला पंच
श्रीमती गोदवारी बाई पंच
श्रीमती योगेश बाई पंच
श्री सोमनाथ पंच
श्री रतन पंच
श्रीमती ओमबाई पंच
श्रीमती कृष्णाबाई पंच
श्री चिन्ताराम पंच
श्रीमती अमरिका बाई आंगनवाड़ी कार्यकर्ता पारागांव
श्रीमती गीता बाई आंगनवाड़ी कार्यकर्ता डोंगरीगांव.
श्रीमती कृष्णाबाई आंगनवाड़ी कार्यकर्ता केशोडार

9. सिविल सोसायटी संगठन एवं सामाजिक सदस्य—

10. भूमि का उपयोग— (एक) कृषि भूमि— डोंगरी 161.62, पारागांव 339.83, केशोडार 84.80
(दो) पडत— डोंगरी 8.87, पारागांव 24.33, केशोडार 6.30
(तीन) सिंचित एवं फसली भूमि— डोंगरी 27.35, पारागांव 68.40, केशोडार 7.55
(चार) सिंचित दुफसली भूमि— डोंगरी 5.10, पारागांव 20.25, केशोडार 2.05
(पांच) असिंचित भूमि— डोंगरी 125.40, पारागांव 247.10, केशोडार 70.95

11. जोत का आकार —

- (एक) लघु कृषकों की संख्या— डोंगरी 52, पारागांव 53, केशोडार 27
(दो) सीमांत कृषकों की संख्या— डोंगरी 75, पारागांव 224, केशोडार 105
(तीन) कुल खातो की संख्या — डोंगरी 189, पारागांव 391, केशोडार 133
(चार) भूमिहीन व्यक्तियों की संख्या — 15

- (पांच) वन अधिकार अधिनियम के अंतर्गत अधिकार धारण करने वाले व्यक्तियों की संख्या (तीन वर्ष या उससे पूर्व निवासरत व्यक्तियों की संख्या पृथक से दी जाये)–
12. पशुधन – (एक) पशुधन की संख्या–डोंगरी 281 पारागांव 325,केशोडार150
(दो) दुधारु पशुधन की संख्या– डोंगरी 43,पारागांव 48,केशोडार20
13. प्रत्यक्ष एवं परोक्ष कार्य एवं रोजगार । डबरी निर्माण,नाली निर्माण, पुलिया निर्माण,इनलेट आउटलेट कृषि, मनरेगा में कार्य एवं अन्य मजदूरी। मनरेगा – 167, कृषि – 150
14. पलायन– 0
15. रोजगार में महिलाओं की भागीदारी – 50 प्रतिशत
16. खाद्य सुरक्षा– डोंगरीगांव 37, पारागांव 28, केशोडार 37
17. अन्य स्थानीय रोजगार–
18. मजदूरी दर– 167
19. ऋण तक पहुंच– 0
20. परिवहन एवं सड़क– कुल मुख्य मार्ग 02, कुल सी.सी.रोड 11
21. सिंचाई– कुल बोर की व्यवस्था 25
22. बाजार तक पहुंच– ग्राम पंचायत से 02 कि.मी.
23. पर्यटन स्थल– 01
24. सरकारी संस्थाएं–
25. रहन–सहन
(एक) धारणाएं, सौंदर्यपक्वता मोह एवं अभिलाषा – छत्तीसगढ़ी प्रधान एवं सौन्दर्यकरण
(दो) गृह– खपड़े का कच्चा एवं पक्का मकान
(तीन) सामुदायिक एवं सिविल स्थान– 0
(चार) धार्मिक एवं सांस्कृतिक स्थल– रंगमंच 04,
(पांच) भौतिक अधोसंरचना (यथा जलआपूर्ति,सीवरेज,सिस्टम इत्यादि)– 50 प्रतिशत
(छः) लोक सेवा अधोसंरचना (यथा विद्यालय, स्वास्थ्य सुविधाएं, आंगनबाड़ी,लोक वितरण सिस्टम इत्यादि)– स्वास्थ्य केन्द्र नहीं आंगनबाड़ी 02, पांचवीं से आठवीं तक विद्यालय, लोक वितरण 01
(सात) सुरक्षा, अपराध एवं हिंसा – 0
26. शौचालय निर्माण– 180

महत्वपूर्ण समाघात क्षेत्र

1. भूमि जीविका और आय पर समाघात
 - (क) रोजगार के स्तर और प्रकार- 100 प्रतिशत, कृषि मनरेगा में कार्य एवं अन्य मजदूरी
 - (ख) अंतरीय परिवार रोजगार के तरीके- मनरेगा
 - (ग) आय के स्तर- 5000/- मासिक औसतम्
 - (घ) खाद्य सुरक्षा- चावल 1रु. शक्कर 13.50रु.मिट्टी तेल 17.20 पैसा, नमक निशुल्क ।
 - (ङ) जीवन निर्वाह का स्तर- मध्यम
 - (च) उत्पादन संसाधनों तक पहुंच और नियंत्रण- 1.500 कि.मी.
 - (छ) जीविका को विकल्पों तक महिलाओं की पहुंच- उपस्थित
2. भौतिक संसाधनों पर समाघात-
 - (क) प्राकृतिक संसाधनों (यथा मिट्टी, वायु,जल,वन) पर समाघात-काली एवं मटासी मिट्टी समान्य जल वायु
 - (ख) जाविका के लिए भूमि एवं सार्वजनिक संपत्ति, प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव- नहीं
3. निजी संपत्तियों, लोक सेवाओं और उपयोगिताओं पर समाघात-
 - (क) विद्यमान स्वास्थ्य एवं शिक्षा सुविधों की क्षमता- विद्यमान स्वास्थ्य 0 एवं 8वीं एवं 5 वीं 176
 - (ख) गृह सुविधों की क्षमता- 400
 - (ग) स्थानीय सेवाओं की पूर्ति की पर्याप्तता, सड़के,सफाई व कचरा प्रबंधन प्रणाली-व्यवस्था नहीं
 - (ङ) निजी संपत्तियों जैसे बोरवेल इत्यादि पर समाघात - 12 कृषि बोर, सुख जाता है 08
4. स्वास्थ्य समाघात-
 - (क) महिलाओं के स्वास्थ्य पर समाघात - गरियाबंद 02 कि.मी. दूरी
 - (ख) वृद्धजनों के स्वास्थ्य पर समाघात- गरियाबंद 02 कि.मी. दूरी
5. संस्कृतिक तथा सामाजिक स्थितियों पर समाघात
 - (क) स्थानीय राजनीतिक संरचना का रूपान्तरण- नहीं
 - (ख) जनसंख्याकी परिवर्तन- नहीं
 - (ग) आर्थिक, पारिस्थिकी संतुलन में परिवर्तन- नहीं
 - (घ) मापदण्ड, विश्वास, मूल्यों एवं सांस्कृतिक जीवन पर समाघात- नहीं
 - (ङ) अपराध एवं अवैध क्रियाकलाप- नहीं
 - (च) विस्थापन का तनाव- नहीं
 - (छ) संयुक्त परिवारों के विखण्डन का समाघात- नहीं
6. चक्रीय परियोजना के विभिन्न चरणों पर समाघात
 - (क) पूर्व- सन्निर्माण चरण- नहीं
 - (ख) सन्निर्माण चरण- नहीं
 - (ग) प्रवर्तन - नहीं
 - (घ) कार्य से हटाने वाला चरण - मौखिक सहमति से कार्य प्रगति पर है।
 - (ङ) प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष समाघात- नहीं
 - (च) संचित समाघात (प्रश्न में परियोजना के चिन्हांकित समाघात क्षेत्रों को मिलाकर अन्य परियोजना के समाघात)- नहीं

श्री राम-नारायण निर्मलकर
गैर शासकीय समाजिक वैज्ञानिक
आर्यभट कोपरा कार्लेज कोपरा

श्री पवन कुमार यादव
पुनर्व्यवस्थापन विशेषज्ञ
गैर शासकीय
कचना धुस्वा कार्लेज छुरा

श्री विष्णु चन्द्राकर
कार्यपालन अभियंता
जल संसाधन विभाग
गरियाबंद (छ.ग.)

श्रीमती सवित्री धने शारदा
सरपंच, सांघी, मन्दास
स्थानीय निकाय से प्रतिनिधि

श्रीमति चुम्मानबाई सोम
अध्यक्ष, जनपद पंचायत
जन्मपेठ, धुस्वा, गरियाबंद
जिला- मन्दास (छ.ग.)
प्रतिनिधि

श्रीमती कल्याण
तहसीलदार
गरियाबंद (छ.ग.)


प्रारूप - 04


[नियम 23(9) देखिये]

सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट एवं सामाजिक समाघात प्रबंधन योजना हेतु विषय - वस्तु की सारणी

अध्याय	विषय वस्तु	विस्तृत जानकारी
कार्यकारी सार	(क) परियोजना और लोक प्रयोजन -	पैरी घुम्मर व्यपतर्वन योजना
	(ख) स्थान	डोगरी गांव दिनांक 28.09.2016
	(ग) भूमि अर्जन का आकार और विशेषता	0.23 हे. निजी भूमि
	(घ) अनुकल्पो पर विचार	अनुकल्प नहीं है।
	(ङ.) सामाजिक समाघात	दल का गठन किया जा चुका है।
	(च) कमी करने के उपाय	अनुकल्प नहीं है।
	(छ) सामाजिक लागत और फायदो का निर्धारण	5.00 लाख
रियोजना के विवरण का पौरा (कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन विभाग, की रिपोर्ट संलग्न)	(क) परियोजना की पृष्ठभूमि, जिसके अंतर्गत विकासकर्ता की पृष्ठभूमि और शासन या प्रबंधन संरचना सहित	गरियाबंद जिले के आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र के महत्वपूर्ण सिंचाई योजना पैरीघुम्मर व्यपतर्वन का निर्माण ग्राम चिखली, ग्राम पंचायत हाथबाय, विकासखण्ड गरियाबंद के समीप पैरी नदी पर निर्मित है। जिसके अंतर्गत बांयी तट नहर मुख्य नहर की कुल लंबाई 30.99 कि.मी. है एवं विभिन्न ग्रामों की सुगमता पूर्वक सिंचाई हेतु 12 नग लघु माईनर नये का निर्माण आवश्यक है। ग्राम डोगरीगांव पटवारी हल्का नं. 16 जिसके लिए 01 कृषकों की 0.23 हे. निजी भूमि को अर्जित किया जाना है। इस परियोजना की लागत रूपये 4617.87 लाख है। जिससे गरियाबंद विकासखण्ड के 2000 हे. क्षेत्र में सिंचाई किया जाना है। एवं लगभग 19 गांव में सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी। इस आदिवासी क्षेत्र में अन्य कोई सिंचाई सुविधा नहीं है। योजना पूर्ण होने पर प्रति हे. उत्पादन सक्षमता 12 mt/Hac से बढ़कर 50 mt/Hac होना संभावित है। अतः योजना के लागत के अनुपात से वार्षिक लाभ फसल के रूप में 26 लाख वार्षिक प्राप्त होगा।

(ख)	परियोजना का मूनाधार, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचितपतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 में परियोजना किस तरह लोक प्रयोजन के लिए उपयुक्त है, सूचीबद्ध मानदण्डों सहित	(1) ग्राम की कृषि भूमि सिंचाई होने से उनका जीवन स्तर में सुधार होगा जिससे ग्राम का विकास होगा। (2) ग्राम में हेण्डपंप, कुँआ एवं तालाबों का जलस्तर में वृद्धि होगी। (3) योजना के निर्माण से रोजगार की अवसर उपलब्ध होगी। एवं दोनों फसलों की पैदावार होंगी।
(ग)	परियोजना के आकार, अवस्थान, क्षमता, उत्पाद लक्ष्य, लागत जोखिम का ब्यौरा	परियोजना का स्वरूप लघु आकार का है। जिसमें किसी भी प्रकार का आबादी क्षेत्र प्रभावित नहीं होगा, एवं उत्पादन क्षमता में वृद्धि होगी। योजना के लागत के अनुरूप उत्पादन क्षमता बढ़ेगी।
(घ)	अनुकल्पी की परीक्षा	अनुकल्पी की परीक्षा किया जा चुका है। अर्थात् योजना पूर्ण रूप से लाभप्रद है।
(ङ)	परियोजना के सन्निर्माण की अवस्थाएं	उपरोक्त ग्राम में इस परियोजना के अतिरिक्त अन्य कोई सिंचाई परियोजना निर्मित नहीं है।
(च)	मूल डिजाइन की विशिष्टियां और सुविधाओं का आकार	लघु नहरों को कमाण्ड क्षेत्र के लगने वाली जल की मात्रा के अनुरूप नहरों का सेक्सन डिजाइन किया गया है। जिससे सिंचाई सुविधा में वृद्धि होगी।
(छ)	सहायक अधोसंरचनात्मक सुविधाओं की आवश्यकता	सहायक अधोसंरचनात्मक सुविधाओं की आवश्यकता अनुकल्प नहीं है।
(ज)	कार्यबल अपेक्षाएं (अस्थाई और स्थाई)	कार्यबल अपेक्षाएं स्थाई है।
(झ)	सामाजिक समाघात निर्धारण या पर्यावरण समाघात निर्धारण का ब्यौरा, यदि पहले से किया गया है, और तकनीकी साध्यता रिपोर्ट	संलग्न है।
(लागू किए गए विधान और नीतियां	वर्तमान में लागू किये गये विधान एवं नीतियों के अनुसार है।


अनुकल्पिता


कार्यपालन अभियंता
जल संसाधन संभाग, गुरियाबांद,
जिला - गुरियाबांद (छ.ग.)